न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः— **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद : इस्तकरार हक

नम्बर मुकदमा — 400 / 2024

निर्णय दिनांकः— 27.8.2024

1 सुखविन्द्र सिह पुत्र फलेल सिह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तह. सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब)

2 गुरविन्द्र सिह पुत्र फलेल सिह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तह. सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब)

— वादीगण

बनाम

1 अमनदीप कौर पुत्री राजेन्द्र कौर पति मनजिन्द्र सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 जसविन्द्र सिह पुत्र सरदारा सिह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तह. सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब)

3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्दू — अधिवक्ता वादीगण

श्री चरणजीत सिह सिद्दू — अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि चक 9 के.एस.डी. खाता स. 107 / 80 खाता अमनदीप कौर वगैरा व इसी चक के खाता स. 108 / 58 खाता अमनदीप कौर वगैरा ज.स. 2070—73 में वादीगण व प्रति स. 1 व 2 के नाम सांझा खाता में आराजी दर्ज है। दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी के आलावा वादीगण व प्रति स. 1 व 2 के नाम मौजा बजीतपुरा भोमा तह. सीतोगुनो जिला फाजिल्का में भी आराजी है। नकल जमाबन्दी बजीतपुरा भोमा स. 2019—2020 हद बस्त नम्बर 21 जिला फाजिल्का (पंजाब) संलग्न वाद पत्र है। वादीगण व प्रति [illegible] ने काश्त की सुविधा के मददेनजर दावा की दफा 2 व 3 में दर्ज आराजी [illegible] आपस में घरू बंटवारा कर लिया है। इस घरू बंटवारा मुताबिक चक 9 [illegible] डी. खाता स. 107 / 80 खाता अमनदीप कौर [illegible] खाता स. 108 / 58 खाता अमनदीप कौर वगैरा ज.स. 2070—73 में प्रति स. 1 व 2 [illegible] नाम दर्ज समस्त आराजी हम वादीगण के हिस्सा में आई है। जो मौका पर घरू बंटवारा अनुसार हम वादीगण के ही कब्जाकाश्त में है। जबकि इस भुमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 17:16:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

बदले में वादीगण ने इतनी ही भुमि मौजा बजीतपुरा भोमा सन 2019—2020 हद बस्त नम्बर 21 जिला फाजिल्का (पंजाब) में प्रति स. 1 व 2 को दे दी है। जो मौका पर प्रति स. 1 व 2 के ही कब्जकाश्त में है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भुमि घरू बंटवारा अनुसार वादीगण के नाम दर्ज नही है। घरू बंटवारा अनुसार वादीगण चक 9 के.एस.डी. खाता स. 107/80 व 108/58 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। इसी कदर की घोषणात्मक डिकी हम वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।दावा की दफा 2 व 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 व 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए। बस यही वादकारण हैं।अतः चक 9 के.एस.डी. खाता स. 107/80 खाता अमनदीप कौर वगैरा व इसी चक के खाता स. 108/58 खाता अमनदीप कौर वगैरा ज.स. 2070—73 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हिब. के खातेदार काश्तकार है।अतः उक्त खातो से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर इनके हिस्सा की समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स.1 व 2 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी स 1 सुखविन्द्र सिहं का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया किचक 9 के.एस.डी. खाता स. 107/80 खाता अमनदीप कौर वगैरा व इसी चक के खाता स. 108/58 खाता अमनदीप कौर वगैरा ज.स. 2070—73 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हिब. के खातेदार काश्तकार है।अतः उक्त खातो से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर इनके हिस्सा की समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावे। अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2 ने वादीगण के वाद पर सहमति का जवाब दावा पेश किया। वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति 9 के.एस.डी. खाता स. 107/80 खाता अमनदीप कौर वगैरा व इसी चक के खाता स. 108/58 खाता अमनदीप कौर वगैरा ज.स. 2070—73 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 व 2 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 17:16:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि चक 9 के.एस.डी. खाता स. 107/80 खाता अमनदीप कौर वगैरा व इसी चक के खाता स. 108/58 खाता अमनदीप कौर वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।अतः उक्त खातो से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर इनके हिस्सा की समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावे। निज.......x....... मुब्लिक.......x....... बाबत.......x.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....x..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.8.2015 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 17:16:1
Reason: SelfAttested

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 सुखविन्द्र सिह पुत्र फलेल सिह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तह. सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब)

2 गुरविन्द्र सिह पुत्र फलेल सिह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तह. सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब)

– वादीगण

बनाम

1 अमनदीप कौर पुत्री राजेन्द्र कौर पति मनजिन्द्र सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 जसविन्द्र सिह पुत्र सरदारा सिह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तह. सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब)

3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादीगण
श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु. स . 400/2024 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी वादीगण व प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 9 के.एस.डी. खाता स. 107/80 खाता अमनदीप कौर वगैरा व इसी चक के खाता स. 108/58 खाता अमनदीप कौऱ वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है ।अतः उक्त खातो से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर इनके हिस्सा की समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावे।

निज.......X.......... मुब्लिक.......X......... बाबत.......X........खर्चा ... मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूली तक ...X... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.8.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के ... डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 17:16:17
Reason: SelfAttested